

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद हापुड़

पत्रांक : 1441-1443 /2016-17

दिनांक : 19.05.2017

प्रबन्धक

दिनेश विद्यापीठ, धनौरा, ब्लाक-हापुड़।

जनपद-हापुड़।

विषय- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इसके सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पञ्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं दिनेश विद्यापीठ, धनौरा, ब्लाक-हापुड़ को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) हेतु दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2020 तक तीन वर्षों की अवधि के लिये औपबन्धिक मान्यता का दिया जाना सम्प्रेषित करता हूँ।

- मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं कर सकता।
- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी यह सामेयन का पालन किया जायेगा।
- प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिये विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन आवेदित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
- समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता पिता द्वारा अतिरिक्त अतिरिक्त को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा-
 - बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,
 - धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उसमें से किसी आधार पर।
- विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:
 - किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोककर रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा,
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा,
 - किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है,
 - प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा,
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निश्चिन्ता प्रवर्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेक्षण,
 - अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय प्राचार्य/प्राचार्या को नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

Abhishek Tyagi
(Manager)
DINESH VIDHYAPEETH
574, Vill. Dhanaura, Distt. Hapur (U.P.)
Aff. No.: 2132722, School Code: 61109

Aakanksha Tyagi
(Principal)
DINESH VIDHYAPEETH
574, Vill. Dhanaura, Distt. Hapur (U.P.)
Aff. No.: 2132722, School Code: 61109

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कटाय नहीं चलाई जायेगी।

11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्याय द्वारा स्थापित किया जाता है।

12. विद्यालय किसी समूह या व्यक्ति संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रशुविधा के लिये स्थापित नहीं किया जाता है।


13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिये और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय समय पर शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकारों के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ती को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

15. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हों को सुनिश्चित किया जाये।

16. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देश का अनुपालन करेगा।

17. अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी किसी भी माध्यम से भविष्य में यह तथ्य राज्ञानित होता है कि यह मान्यता विद्यालय/प्रबन्धक द्वारा विभाग को तथ्यगोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व में ही कोई मान्यता प्रदान की गयी है तो यह मान्यता स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं प्रबन्ध/सक्षम अधिकारी, विद्यालय प्रबन्धक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

मान्यता


(दिवेंद्र गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

हपुड़

पृ0सं0:

/2016-17


तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिसर, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।

3. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि व समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण कर देख लें कि विद्यालय उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन कर रहा है कि नहीं, यदि अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो तत्काल इस सम्बन्ध में आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।


Abhishek Tyagi
(Manager)

DINESH VIDHYAPEETH
574, Vill. Dhanaura, Distt. Hapur(U.P.)
Aff. No.: 2132722, School Code: 61109

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

हपुड़


Aakanksha Tyagi
(Principal)

DINESH VIDHYAPEETH
574, Vill. Dhanaura, Distt. Hapur(U.P.)
Aff. No.: 2132722, School Code: 61109